भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 885

(जिसका उत्तर मंगलवार, 28 जुलाई, 2015/ 6 श्रावण, 1937 (शक) को दिया जाने वाला है)

नए कर हिस्सेदारी मॉडल में गिरावट आना

885. श्री नीरज शेखरः

श्री अरविन्द कुमार सिंहः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या नए केन्द्र राज्य कर हिस्सेदारी मॉडल में राज्यों की हिस्सेदारी में दस प्रतिशत बढ़ोतरी करने का वादा किया गया है यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नए कर हिस्सेदारी मॉडल के पश्चात उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को चालू वर्ष के दौरान हजारों करोड़ रुपए की राशि का नुसान हुआ है और इसके परिणामस्वरूप पूर्व वर्ष की तुलना में उस पर वित्तीय बोझ बढ़ा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश की कर हिस्सेदारी/बजटीय सहायता कितनी रही है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत सिन्हा)

(क) जी, हां। सरकार ने 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और केन्द्रीय करें/शुल्कों के विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी में 10 प्रतिशत की वृद्धि करके उसे 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया है। इसलिए 2015-16 के दौरान जारी किए जाने वाला केन्द्रीय करों/ शुल्कों में राज्यों का प्रस्तावित हिस्सा (14वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार) 2014-15 के दौरान जारी किए गए 3,37,808.45 करोड़ रु.(13वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार) से बढ़कर 5,23,958.24 करोड़ रु. हो गया है। राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध 'क' में दिया गया है।

(ख) 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश को केन्द्रीय करों/शुल्कों एवं अनुदानों के अंतरण के रूप में 2014-15 के दौरान जारी किए गए 72,523.91 करोड़ रु. (13वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार) की तुलना में वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान केन्द्रीय करों/शुल्कों एवं अनुदानों के रूप में 99,665 करोड़ रु. (14वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार) प्राप्त होने की आशा है। इसके अलावा, 2015-16 के दौरान सभी राज्यों को अंतरित किए जाने वाले प्रस्तावित निवल संसाधन 2014-15 के 6,80,456 करोड़ रु. से बढ़कर 8,39,317 करोड़ रु. हो गए हैं।

(ग) पिछले 3 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश को केन्द्रीय करों/शुल्कों एवं अनुदानों के अंतरण (13वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार) का ब्यौरा निम्नानुसार हैः-

(करोड़ रु.)

2012-13	2013-14	2014-15
61,809.11	70,387.75	72,523.91

अनुबंध 'क'

2014-15 के दौरान (13वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार) जारी किए गए केन्द्रीय करों एवं शुल्कों में राज्यों के हिस्से और 2015-16 के दौरान (14वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार) जारी किए जाने के लिए प्रस्तावित केन्द्रीय करों/शुल्कों में राज्यों के हिस्से का तुलनात्मक विवरण।

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	नाम	2015-16 (ब.अ.)	2014-15 (Actual)
1	आंध्र प्रदेश	22637.97	13692.42
2	अरुणाचल प्रदेश	7231.74	1109.98
3	असम	17400.88	12283.71
4	बिहार	50747.58	36963.07
5	छतीसगढ	16213.35	8363.03
6	गोवा	1981.44	900.54
7	गुजरात	16236.04	10296.35
8	हरियाणा	5685.85	3548.09
9	हिमाचल प्रदेश	3743.71	2644.17
10	जम्मू और कश्मीर	8087.88	4477.23
11	झारखण्ड	16498.80	9487.01
12	कर्नाटक	24789.78	14654.25
13	केरल	13121.77	7926.29
14	मध्य प्रदेश	39705.39	24106.99
15	महाराष्ट्र	29061.94	17602.97
16	मणिपुर	3238.08	1526.95
17	मेघालय	3370.84	1381.69
18	मिजोरम	2413.72	910.67
19	नागालैंड	2613.71	1062.69
20	ओडिशा	24411.60	16181.21
21	पंजाब	8273.35	4702.97
22	राजस्थान	28924.83	19817.14
23	सिक्किम	1924.69	809.33
24	तमिलनाडु	21149.89	16824.03
25	तेलंगाना	12823.25	9795.40
26	त्रिपुरा	3369.08	1730.13
27	उत्तर प्रदेश	94313.46	66622.91
28	उत्तराखंड	5526.08	3792.30
29	पश्चिम बंगाल	38461.54	24594.93
	कुल	**523958.24**	**337808.45**